न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 07/2013 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2013/00019

उनवान :–

1. पूरन सिंह उम्र 55 वर्ष
2. साहब सिंह उम्र 50 वर्ष

} पुत्रान श्री कैलाशी जाति लुहार निवासी हतीजर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्याम सिंह
2. रामवीर

} पुत्रान परभाती जाति नाई निवासी हतीजर तह0 वैर जिला भरतपुर।

3. घमला वेवा परभाती

.....असल रैस्पोडेण्ट

4. रामस्वरूप पुत्र प्रभू
5. रतन सिंह पुत्र कैलाशी
6. किरनदेई पुत्री कैलाशी जाति लुहार निवासी हतीजर तहसील वैर जिला भरतपुर हाल निवासी कोसीकला तहसील छाता जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश

.....तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 01.08.1970 प्र0स0 151/69 न्यायालय सहायक कलक्टर वैर उनवानी परभाती बनाम आनंदी ।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अपील संख्या :– 04/2015 (225 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00022

उनवान :–

1. पूरन
2. साहब सिंह
3. रतन

} पुत्रान कैलाशी जाति लुहार नि0 ग्राम हतीजर तह0 वैर जिला भरतपुर।

4. ओमप्रकाश
5. संजय
6. राजीव

पुत्रान पूरन जाति लुहार निवासी ग्राम हतीजर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. पूरन
2. सोहनलाल
3. देशराज

पिसरान जवाली

4. विरमा वेवा सुगर सिंह
5. बबलू पुत्र सुगर सिंह
6. भरत पुत्र सुगर सिंह
7. महेश पुत्र सुगर सिंह
8. श्याम सिंह
9. रामवीर

पुत्रान परभाती

जाति नाई निवासी ग्राम हतीजर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 20.03.2014 प्रकरण संख्या 16/2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर।

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/2015 (हुक्म अदूली)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00029

उनवान :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. पूरन
2. साहब सिंह
3. रतन

पुत्रान कैलाशी जाति लुहार नि0 ग्राम हतीजर तह0 वैर जिला भरतपुर।

4. ओमप्रकाश
5. संजय
6. राजीव

पुत्रान पूरन जाति लुहार निवासी ग्राम हतीजर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. पूरन
2. सोहनलाल } पिसरान जवाली
3. देशराज
4. विरमा वेवा सुगर सिंह
5. बबलू पुत्र सुगर सिंह
6. भरत पुत्र सुगर सिंह
7. महेश पुत्र सुगर सिंह
8. श्याम सिंह } पुत्रान परभाती
9. रामवीर

जाति नाई निवासी ग्राम हतीजर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 अ व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश दिनांक 09.03.2015

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट श्री नीरपाल सिंह कुन्तल उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–25.04.2019

1. यह दोनों अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक क्रमशः 01.08.1970 एवं 20.03.2014 के विरूद्ध एवं प्रार्थना पत्र संख्या 03/2015 (हुक्म अदूली) इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.03.2015 के विरूद्ध पेश किया गया है। चूँकि तीनों प्रकरणो में विवादित आराजी एवं पक्षकार एक समान हैं इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति तीनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. अपील संख्या 07/2013 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/असल रैस्पो0 के पिता परभाती ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट के पूर्वज आनन्दी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम हतीजर तहसील वैर में स्थित है। प्रतिवादी/अपीलाण्ट संख्या 01 के पूर्वज आनन्दी के पति गिर्राज एवं प्रतिवादी/तरतीवी अपीलाण्ट के पूर्वज प्रभू का विवादित आराजी से उनके जीवनकाल में एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारियों का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी भी दृष्टि से कोई वास्ता नहीं रहा है। प्रतिवादी/अपीलाण्ट संख्या 01 के पूर्वज आनन्दी के पति गिर्राज एवं प्रतिवादी/तरतीवी अपीलाण्ट के पूर्वज प्रभू एक चालक किस्म के व्यक्ति थे जिन्होनें वादग्रस्त आराजी को राजस्व कर्मचारियों से साज कर कर अपने नाम अलग–अलग, राजस्व रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज, वादी/असल रैस्पो0 की लाइल्मी में करा लिये, जो कि खिलाफ मौका व कानून हैं। विवादित आराजी पर वादी/असल रैस्पो0 का ही कब्जा काश्त है। अतः वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन करने, उनके स्थान पर वादी/असल रैस्पो0 को खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई एक पक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. दूसरी अपील संख्या 04/2015 के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम हतीजर तहसील वैर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण/रैस्पो0 मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066 लगायत 2069 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। विवादित आराजी प्रार्थीगण/रैस्पो0 की कब्जे काश्त की एवं पैतृक आराजी है जिस पर वह अपने पूर्वजो के समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार कभी नहीं रहा है। परन्तु अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने प्रार्थीगण/रैस्पो0 के विरूद्ध नाजायज गिरोह बना रखा है एवं आये दिन विवादित आराजी पर कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अग्रिम पेशी दिनांक 29.04.2014 तक विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

4. प्रार्थना पत्र संख्या 03/2015 अपीलाण्ट ने, अपील संख्या 04/2015 में न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.03.2015 के बाबजूद रैस्पो0 का विवादित आराजी में दखल करने के विरूद्ध पेश किया गया है।

5. अपीलें/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किये जाकर रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपील संख्या 07/2013 की बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किये कि विवादित आराजी में पूर्व में यानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय अपीलाण्ट के पूर्वज गिर्राज व उत्तरवादी तरतीवी संख्या 04 के पिता स्व0 प्रभू समभाग प्रत्येक के 1/2 हिस्सा के गैर मौरूसी कृषक एंव मौके पर काबिज रहे हैं। इसलिये उन्हें विवादित आराजी के 1/2 भाग पर धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस स्थिति पर गौर नहीं कर खण्डनाधीन निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की है। विवादित आराजीयात पर स्व0 आनन्दी व रामस्वरूप 1/2 भाग पर सहकृषक काबिज रहे हैं, जो अभी तक अभिवाजित रही है इस प्रकार स्व0 आनन्दी व रामस्वरूप के इस अभिवाजित 1/2 भाग पर कोई अधिकार शिकमी के आधार पर प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि सहभागीदारी की आराजी में सहकृषको के मध्य भूमि का पट्टा किये जाने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि कब्जे के मामले में सहकृषको के मध्य रचनात्मक कब्जा की मान्यता होती है और एक सहकृषक का कब्जा सभी अन्य का होना माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को कोई सम्मन का निर्वहन नहीं हुआ है एवं ना ही उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट की पूर्वज आनन्दी तत्कालीन समय से विधवा रही है इसलिये उनकी आराजी पर धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रतिकूल किसी व्यक्ति को काश्त(शिकमी) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। धारा 05 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उनका तर्क है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण शून्य है जिनके लिये चुनौती देने के लिये कोई अवधि का गतिरोध नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जावें। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2011 पेज 508, 1986 पेज 226, 1986 पेज 567, 642, 1984 पेज 42, 1988 पेज 14, 462, 470, 581, 1998 पेज 319, आरएलडब्ल्यू 2013(1) पेज 268 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेशों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7. अपील संख्या 04/2015 की बहस में विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि विवादित आराजीयात में अपीलाण्ट एवं उनकी बहिन किरनदेवी वहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के खातेदार सह कृषक काबिज हैं। रैस्पो0 का अपीलाण्ट के उक्त हिस्से की आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है उनके समस्त हिस्सा आराजी पर इन्द्राज खातेदारी कतई गलत हो रखे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इन्द्राज खातेदार पर भरोसा कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश NON SPEAKING आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों घटक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेशों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

8. अपील संख्या 07/2013 की बहस में विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही हैं। अपीलाण्ट द्वारा मौजूदा अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.1970 के विरूद्ध दिनांक 15.04.2013 को लगभग 43 साल बाद प्रस्तुत की गयी है एवं अपील पेश करने में हुई देरी का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपीलाण्ट को पूर्ण जानकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रही है। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम में असत्य आधारहीन एवं वेग तथ्य दर्ज किये गये हैं। अपील स्पष्टतः मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। यद्यपि गुणावगुण पर भी रैस्पो0 द्वारा तर्क रखे गये हैं परन्तु उनका आग्रह रहा कि प्रथमतः मियाद के प्रश्न को ही तय किया जावें। गुणावगुण पर उनका तर्क है कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन से पूर्व से ही एवं तत्सयम रेस्पो0 01 लगायत 03 असल के पूर्वजो की गैर मौरूसी एवं खुद काश्त की भूमि रही है। आनन्दी के पति गिर्राज एवं रामस्वरूप का प्रभू द्वारा मात्र एक दो साल के लिये विवादित आराजी में साझी रहे हैं साझी को सिर्फ उस वर्ष की फसल एवं उसमें होने वाल फायदे व नुकसान तक ही सीमित रखा गया है विवादित आराजी की बाबत् साझी को किसी प्रकार के कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं होते हैं। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा कानूनी प्रावधानो के परे एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के इन्तकाल संख्या 189 से गलत रूप से इन्द्राज अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 के पूर्वज गिर्राज व प्रभू के नाम राजस्व अभिलेख में कर दिये, जो खिलाफ मौका एवं रिकार्ड हैं। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कभी कोई संबंध सारोकार नहीं रहा है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त ही है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1986 पेज 546, 1990 पेज 456, 1985 पेज 247, 1993 पेज 821, 2013 पेज 189, 193, 791, 2012 पेज 742, डीएनजे 2014 पेज 1129, 117, 1321, एआईआर 1963 पेज 01 से 11, 1988 पेज 400, आरआरटी 2014(1) पेज 364 का हवाला देते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. अपील संख्या 04/2015 की बहस में विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा अन्तरिम आदेश की अपील की गई है। नियमानुसार अन्तरिम आदेश की अपील लाई नही करती है। यदि स्थगन आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट को कोई उज्र था, तो अधीनस्थ न्यायालय में ही करना चाहिए था। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नही किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर दिनांक 01.08.1970 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 15.04.2013 को लगभग 43 वर्ष पश्चात इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। मियाद के सम्बन्ध में अपीलांट का कथन है कि पटवारी हल्का के बतलाने पर दिनांक 02.04.2013 को जानकारी हुई और नकल प्राप्त की, जानकारी की दिनांक और नकल मिलने से अपील अन्दर मियाद शुमार करने की प्रार्थना की है, परन्तु अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.1970 की जानकारी ना होने की परिस्थितियॉ, प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया है। अपीलांट का यह कथन कि उनको अपीलाधीन आदेश की जानकारी लगभग 43 वर्ष तक नही हुई, सत्यभासी नहीं है। यह सही है कि उचित कारण होने पर विलम्ब को क्षमा करते हुए, अपील पर सुनवाई की जा सकती है। परन्तु प्रस्तुत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में 43 वर्ष का सुदीर्घ विलम्ब का कोई सारपूर्ण कारण अपीलाण्ट ने अंकित नही है। इस स्थिति में विलम्ब को क्षमा करना न्यायिक प्रावधानों का दुरूपयोग होगा। अतः मिंयाद के बिंदु पर अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुॅचाता है; हम अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य पाते हैं।

11. जहॉ तक अपील संख्या 04/2015 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 03/2015 का प्रश्न है, उक्त प्रकरणो में विवादित आराजी एवं पक्षकार समान ही हैं, जब अपीलाण्ट की अपील संख्या 07/2013 उपरोक्त विवेचनानुसार मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य पाई गयी है तो अपीलाण्ट विवादित आराजी पर रैस्पो0 को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के भी अधिकारी नहीं होते हैं। लिहाजा अपील संख्या 04/2015 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 03/2015 भी हम खारिज योग्य समझते हैं।

12. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलांट एवं प्रार्थना पत्र (हुक्म अदूली) खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक क्रमशः 01.08.1970 एवं 20.03.2014 यथावत रखें जाते हैं। तीनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

13. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official